रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 मई, 2004/22 वैशाख, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 मई, 2004

संख्या एच0पी0इ0आर0सी0/381.——निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्ति की सूचना के लिए, प्रकाशित किये जाते हैं, और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर

प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जायेगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमिर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला–171002 को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

भाग–1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपबन्धों की परिधि.**–(1) ये विनियम, जहां आयोग पूंजीगत लागत आधारित टैरिफ अवधारित करता है, वहां लागू होंगे।

(2) यदि टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अवधारित की गई हो, तो आयोग, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, टैरिफ को अंगीकार कर सकेगा।

3. **परिभाषाएं.**–इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (या ओ0एण्ड0एम0 एक्सपैन्स)" से वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें कर्मचारियों पर खर्चे, प्रशासनिक एवं आम खर्चे, मरम्मत और अनुरक्षण, फालतू सामग्री, खपने वाली सामग्री, बीमा इत्यादि पर उपगत व्यय तथा अन्य उपरिव्यय भी आते हैं;

(ग) "विनियम" से ये विनियम अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिभार" से उपभोक्ता या उपभोक्ता प्रवर्ग द्वारा खुली पहुंच से, वाध्यताधीन वितरण

अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत प्रदाय के लिए विकल्प करके किया गया अतिरिक्त संदाय, अभिप्रेत है;

(च) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः नियत किया गया है।

भाग–2 टैरिफ अवधारण मार्गदर्शिक कारक

4. **टैरिफ का अवधारण.**–(1) आयोग, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित के लिए टैरिफ का अवधारण करेगा–

(क) उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय;

(ख) विद्युत का पारेषण;

(ग) विद्युत का चक्रण;

(घ) विद्युत का खुदरा विक्रय;

(2) अवधारित टैरिफ, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में, आयोग की तुष्टि अनुसार निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन होगा तथा उनका अननुपालन टैरिफ में, जैसे आयोग आदेशित करे, संशोधन, प्रतिसंहरण, फेरफार (बदलाव) तथा परिवर्तन का कारक होगा।

(3) भविष्य में, पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो राज्य में विद्युत वितरण तथा प्रदाय हेतु किसी उत्पादन कम्पनी, उत्पादन केन्द्र या किसी अन्य स्त्रोत से विद्युत उपाप्त तथा क्रय, जिसमें वह मूल्य जिस पर विद्युत क्रय की जाएगी भी आता है, करने का प्रस्ताव करता है, संविदा करने से पूर्व, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) टैरिफ आदेश, जब तक कि अन्यथा संशोधित या प्रतिसंहरत न हो, ऐसी अवधि के लिए, जैसी टैरिफ ओदश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू रहेगा। जब तक आयोग बदलाव, परिवर्तन और उपांतरण सहित उसके उतरकालावधि में लागू रहने के लिए अनुज्ञात नहीं करता है, आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ, अनुज्ञप्तिधारी के विनियम 7 के अधीन संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी (ए0आर0आर0) दाखिल करने में असफल रहने पर, लागू नहीं होगा।

5. **टैरिफ अवधारण हेतु मार्गदर्शक बातें.**–आयोग, टैरिफ अवधारण करते समय निम्नलिखित बातें

ध्यान में रखेगा, अर्थात् :–

(क) वे सिद्धांत जो–

(1) कार्य निष्पादन को बढ़ावा दें;
(2) वाणिज्यिक पहलू को उजागर करें;
(3) दक्षता, मितव्ययी उपयोग, प्रतिस्पर्धा तथा हानि वा लागत में कमी करें;
(4) ऊर्जा के नए स्त्रोंतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन करें;

(ख) धारा 62 की उप-धारा (5) के अधीन टैरिफ और प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने के, तथा टैरिफ फाईलिंग मार्गदर्शक, सिद्धांत एवं प्रक्रिया;

(ग) बहु वर्ष टैरिफ सिद्धांत;

(घ) परिचालन दक्षता में सुधार लाने तथा विनयामक कार्रवाई की संभाव्यता सुनिश्चित करने हेतु विनयामक आधारित कार्य निष्पादन के लिए व्यापक टैरिफ सिद्धांत;

(ड) उपभोक्ता हित का सरंक्षण;

(च) युक्तियुक्त रीति से विद्युत लागत की वसूली;

(छ) प्रतिसहायिकी की कमी तथा समाप्ति;

(ज) विनिधान उत्पादकता, जिसमें टैरिफ समायोजन को कारबार में नियोजित पूंजी, मानव संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने तथा पूंजी व स्त्रोत दक्षता में सुधारों से जोड़ने की आवश्यकता भी है;

(झ) उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की बैंचमार्क तथा कार्य–निष्पादन आधारित लागत के आधार पर टैरिफ को व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता।

6. **अनुज्ञेय टैरिफ की वसूली**.–(1) उत्पादन कम्पनी अथवा, अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, विद्युत पारेषण (अंतः राज्य पारेषण), वितरण तथा प्रदाय के लिए, टैरिफ बसूल नहीं करेगा:

परन्तु इन विनियमों के विनियम 3 की परिधि में आने वाले टैरिफ सम्बन्धित विषय में, आयोग की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारियों अथवा उत्पादन कम्पनियों द्वारा वसूल किया जा रहा विद्यमान टैरिफ, इन विनियमों के प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् उस अवधि, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, तक

वसूल किया जाता रहेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक वसूल नहीं करेगी। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी इन विनियमों के अधीन अवधारित टैरिफ से अधिक मूल्य या प्रभार वसूल करती है तो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी के किसी अन्य भारित दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,–

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसे मूल्य या प्रभार का संदाय किया है, बैंक दर से सम्तुल्य ब्याज सहित अधिक ली गई राशि वसूल की जाएगी; तथा

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम की धारा 142 तथा 146 के अधीन दण्डनीय होगा।

भाग–3 संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी का दाखिल करना

7. **संकलित राजस्व अपेक्षाओं का दाखिल करना.**–(1) प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, हर वर्ष की 30 नवम्बर को या उस से पूर्व, टैरिफ अवधारणा हेतु अपनी संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी (ए0आर0आर0) दाखिल करेगा।

(2) उप–विनियम (1) के अधीन संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी (ए0 आर0 आर0) में निम्न का उल्लेख किया जाएगा :–

(क) पूंजी विनिधान, वित्तपोषित लागत तथा दर आधार;

(ख) कामकाज पूंजी; प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; डूबंत ऋण के बारे में उपबन्ध, अवक्षयण तथा वितरण क्षति;

(ग) पूर्वानुमानित लागत;

(घ) विद्युत क्रय ;

(ङ) लाभांशाबंटन;

(च) विनियामक आस्तियां; तथा

(छ) रीति जिससे अनुज्ञेय प्रभारों की वसूली और संगणनित प्रत्याशित राजस्व (आय) में अन्तर, यदि

कोई हो, पूरा किया जाएगा।

(3) आयोग, राजस्व अपेक्षा की अवधारणा के प्रोजन हेतु तथा प्रत्येक पुनर्विलोकन वर्ष के लक्ष्य निर्धारण हेतु, आदेश द्वारा मोटे तौर पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपगत खर्चे निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकेगाः—

(क) नियंत्रणीय खर्चे ;
(ख) अनियंत्रणीय खर्चे :

परन्तु नियंत्रणीय खर्चों का वर्गीकरण समुचित सूचकांकों, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी0पी0आई0), थोक मूल्य सूचकांक (डबलयू0पी0आई0) तथा मूल अधार दर (पी0एल0आर0) इत्यादि से अनुक्रमणिका बना कर के किया जाएगाः

परन्तु और यह कि वैकल्पिक उपगत अनियंत्रणीय खर्चे आयोग की सम्यक तत्पर एवं प्रज्ञायुक्त जांच के अध्यधीन, (pass through) खर्चा माना जाएगा।

(4) आयोग बहु वर्षीय टैरिफ के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घकालिक कारवार योजना की अपेक्षा कर सकेगा।

8. पूंजी विनिधान.—(1) अनुज्ञप्तिधारी, चालू परियोजनाओं को, जो पुनर्विलोकन वर्ष के दौरान चालू रहेंगी और नई परियोजनाओं को, जो आरम्भ तो की जाएंगी परन्तु टैरिफ कालावधि के भीतर या उसके उपरान्त पूरी होंगी, (उनके औचित्य सहित) पृथकतः दर्शाते हुए अपनी विस्तृत पूंजी विनिधान योजना दाखिल करेंगे।

(2) अनुमोदन हेतु आयोग अनुज्ञप्तिधारी की विनिधान योजना पर विचार कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारियों से सुसंगत तकनीकी व वाणिज्य ब्यौरे देने की अपेक्षा कर सकेगा। सामान्यतः किसी वर्ष विशेष के लिए अनुज्ञप्तिधारी की अनुमोदित विनिधान योजना के तत्समान खर्चे उसकी राज़स्व अपेक्षा समझे जाएंगे।

(3) नई परियोजनाओं का औचित्य उपस्थापित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी संकर्म की विनिर्दिष्ट प्रकृति और उससे वांछित उपलब्धि का ब्यौरा देंगे तथा उक्त ब्यौरे में इन तथ्यों की नई क्षमता में कितना परिवर्धन किया गया है और कितना किया जाना है, मीटरों का प्रतिस्थापन, उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का गठन इत्यादि का वस्तुगत रूप में उल्लेख होना चाहिए, ताकि इसकी अस्तित्व जांच हो सके। वस्तुगत कार्यान्वयन में कमी की दशा में, आयोग अनुज्ञप्तिधारियों से कारणों का स्पष्टीकरण मांग सकेगा तथा अगले वर्ष की राजस्व अपेक्षाविवरणी में प्रावधान, जिसमें ब्याज तथा वापसी घटक भी आते हैं, में अनुपाततः कटौती कर सकेगा।

(4) टैरिफ वर्ष के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी प्राकृतिक आपदाओं का, जिन पर भारी खर्चा आता है, सामना करने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान की मांग कर सकेंगे और आयोग, उप—विनियम (2) में उपबन्धों के अनुसार इन प्रावधानों का परीक्षण व पुनर्विलोकन करेगा और उन्हें अगामी राजस्व अपेक्षाविवरणी में सम्मिलित करने के लिए अनुमोदित करेगा।

9. वित्तीय लागत.—नए वित्तीय संसाधन जुटाते हुए, बाज़ार परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी ऋण और साधारण अंश के किसी भी अनुपात पर वित्त संसाधन जुटाने में स्वतन्त्र होगा पिछले विनिधान के वास्तविक मूल्य, अवक्षयण आरक्षिति समझे जाएंगे और उसका प्राप्त सीमा तक उपयोग विनिधान वित्तपोषण के लिए किया जाएगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी उन अस्थितियों से, जो उसे अवक्षयण आरक्षिति के उपयोग से प्राप्त हुई हैं, आय उपार्जित नहीं कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अपनी दाखिल की जानी वाली अपेक्षा विवरणी में उल्लेख करेगा कि उसकी राजस्व अपेक्षा विवरणी में दी गई वित्तपोषित लागत, अनुमोदित विनिधान योजना, पूंजीगत व्यय स्तर तथा कामकाज पूंजी से मेल खाती है।

(3) राजस्व के सन्दर्भ में, वर्ष के आरम्भ में बकाया ऋणों के लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी दाखिल की जाने वाली अपेक्षा विवरणी में प्रत्येक वर्ष में दिये जाने वाले प्रत्याशित ब्याज का उल्लेख करेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी की उक्त वर्ष की राजस्व अपेक्षा मानी जाएगी, तथा ब्याज दर की कमी की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को बकाया ऋणों को घटाने के लिए प्रयास करने होंगे।

(4) आयोग, उपभोक्ताओं से ऋण लेने के लिए बढ़ावा देगा तथा अनुसूचित बैंक द्वारा सभी ऋणों के लिए अनुज्ञेय ब्याज लागत के साथ पूर्वावधरित सीमा (मार्जिन) को, जो उस दर को यथार्थतः परावर्त करे जिस पर अनुज्ञप्तिधारी बाज़ार में ऋण ले सके, मूल उधार दर (पी0 एल0 आर0) से जोड़ा जाएगा।

(5) उप–विनियम (4) में अनुज्ञेय ब्याज लागत को मूल उधार दर से जोड़ने से अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी टैरिफ रेटिंग में सुधार लाने तथा निम्नतर लागत पर वित्त प्राप्ति में बढ़ावा मिलेगा और आगामी टैरिफ पुनर्विलोकन तक अनुज्ञप्तिधारी उस बचत से लाभ प्रतिधारित करेंगे, तथा उस स्थिति में उनका वास्तविक मूल्य पश्चात्वर्ती वर्षों में आधार माना जाएगा।

(6) आयोग के अनुमोदनार्थ, अनुज्ञप्तिधारी, अपने कारबार, विद्यमान बाज़ार परिस्थितियां तथा वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में, मूल उधार दर की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, अपनी राजस्व अपेक्षा विवरणी में (भारतीय ऋण) के सन्दर्भ में मूल उधार दर अथवा लाभ सीमा में किसी का चुनाव कर सकता है :

परन्तु स्थिरता रखने के लिए आयोग, किसी आम स्वीकार्य बैंक की मूल उधार दर को बैंचमार्क के रूप में अपना सकेगा।

10. दर आधार.—(1) आयोग, प्रत्यागमों की संगणना हेतु, ऋण तथा इक्विटी का पृथकतः या संयुक्ततः विचार करते हुए समुचित दर आधार अवधारित कर सकेगा तथा ऐसा करते हुए उन बातों, जो पूंजी

विनिधान को प्रोत्साहित करें, पर पर्याप्त विचार किया जाएगा :

परन्तु कुल नियोजित पूंजी का प्रत्यागम अनुज्ञात करते हुए, आयोग, नियमत अन्तराल पर अनुज्ञप्तिधारी की अधिमानित औसत पूंजी लागत (डब्ल्यू0 ए0 सी0 सी0) निर्धारित कर सकेगा।

(2) यदि निवेश करेंसी पूंजी के रूप में किया जाता है तो आयोग अलग प्रत्यागम दर पर विचार कर सकता है और विदेशी मुद्रा में फेरफार (बदलाव) का भार उपभोक्ताओं द्वारा धारित होगा।

(3) आयोग—

(क) इक्विटी के प्रत्यागम को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर जमा विद्युत सैक्टर में विनिधान जोखिम के मार्जिन के साथ जोड़ सकता है;

(ख) पूंजी आधारित नियत प्रत्यागम दर, जैसी उस द्वारा विनिश्चित की जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(ग) पश्व–कर प्रत्यागम के लिए प्रावधान कर सकेगा और यह भी सुनिश्चित कर सकेगा कि कर भार, कर प्रत्यागम सीमा तक, उपभोक्ताओं द्वारा धारित होगा।

11. **कामकाज पूंजी.**—कामकाज पूंजी अपेक्षाएं, लीड–लेग अध्ययन पर आधारित होंगी और पश्चात्वर्ती वर्षों में उक्त कामकाज पूंजी अपेक्षा दक्षतापूर्ण स्तर तक बढ़ाई जानी चाहिए।

12. **प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय.**—आयोग मानक आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत नियत करने का प्रयास करेगा और ऐसी लागत, जो पहली पुनर्विलोकन कालावधि में वास्तविक व्यय अथवा आयोग द्वारा अनुज्ञात व्यय में से कम हो, मान्य होगी और अनुमोदित आधार मूल्य, पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए, पूर्वावधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी0 पी0 आई0) या थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0 पी0 आई0) या दोनों सूचकांकों के समुच्चय द्वारा सूचकृत किए जा सकेंगे।

13. **डूबंत ऋण के बारे में उपबन्ध.**—अनुज्ञप्तिधारी का प्राप्तियों का संपरीक्षण करवाने के उपरान्त, आयोग, विक्रय राजस्व की प्रतिशतता के रूप में तथा प्रबुद्ध वाणिज्यिक परिपाटी के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व अपेक्षाओं में डूबंत ऋण के बारे में उपबन्धित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

14. **अवक्षयण.**—(1) टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु, अवक्षयण दर को अस्ति उपयोगिता कालावधि से जोड़ा जाएगा :

परन्तु यह कि आयोग, ऋण प्रतिसंदाय के लिए धन की अपर्याप्ता की दशा में, उच्चतर अवक्षयण दर अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) आयोग अनुज्ञेय अवक्षयण के साथ–साथ अवक्षयण पर अग्रिम के लिए विचार कर सकेगा, यदि–

(क) वर्ष में अवक्षयण पर लिया गया अग्रिम और अवक्षयण मिलाकर मूल ऋण राशि के 1/12 भाग से अधिक न हो; तथा

(ख) परियोजना की कालावधि में कुल अवक्षयण मूल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न हो।

15. **वितरण क्षति.**—(1) विभिन्न वोल्टा स्तरों तथा विभिन्न उपभोक्ता प्रवर्ग के सम्बन्ध में क्षति प्राक्कलन की वास्तविक आधार रेखा नियत करने हेतु आयोग या तो, स्वपर्यवेक्षणाधीन, अनुज्ञप्तिधारियों से उचित क्षति प्राक्कलन अध्ययन करने की अपेक्षा कर सकेगा, या अपने आप ही ऐसा अध्ययन आरम्भ कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल की गई विवरणी में दर्शित आरम्भिक क्षति स्तर या स्टेकहोल्डर्ज़ के आवेदनों तथा आक्षेपों, के आधार पर, आयोग, पुर्नीविलोकन वर्ष के लिए वास्तविक तथा प्रतिपूर्तिनीय क्षति लक्ष्य मंजूर करेगा तथा इस मंजूर क्षति लक्ष्य का उपयोग उस वर्ष के विद्युत क्रय/विद्युत विक्रय के प्राक्कलन करने के लिए किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षति में भारी कमी करने के मुकाबले में लक्ष्य पूर्ति करने से हुए वित्तीय लाभ का कुछ भाग उपभोक्ताओं को भी मिलेगा और क्षति कमी लक्ष्य पूरा न करने से हुई सारी हानि अनुज्ञप्तिधारी को ही धारित करनी होगी।

16. **पूर्वानुमानित विक्रय.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी विचाराधीन कालावधि के लिए, प्रत्येक उपभोक्ता प्रवर्ग तथा प्रत्येक स्तर के लिए विद्युत विक्रय, उपभोक्ता संख्या तथा भार प्रोफाईल का पूर्वानुमान लगाएगा और आयोग, इसको स्वीकार और अंगीकृत करने से पूर्व, इसकी युक्तियुक्ता, इसका अनुज्ञप्तिधारियों से सम्बन्धित सभी सिद्धान्तों से तालमेल तथा पिछले पूर्वानुमानित विक्रय के रूख का परीक्षण करेगा।

(2) भविष्य में पूर्वानुमान प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी, उनकी मांगों से सम्बन्धित वांछित विशिष्टियों सहित, सभी उपभोक्ताओं के आंकड़े विकसित करेगा।

(3) पूर्वानुमानित विक्रय आंकड़ों का उपयोग प्रोदभूत राजस्व के प्राक्कलन के लिए किया जाएगा।

17. **विद्युत क्रय.**—(1) विद्युत क्रय की अनुमोदित मात्रा लक्ष्यित वितरण होने तथा विनियम 16

के अधीन पूर्वानुमानित क्रय का योग होगी और उसका मूल्यांकन, आयोग द्वारा सहमत विद्युत क्रय करारों, थोक प्रदाय करारों, इत्यादि पर आधारित मूल्य पर होगा।

(2) आयोग विद्युत क्रय के अनुमोदित स्तर से अधिक विद्युत क्रय पर विचार नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, किसी अन्य स्त्रोत से विद्युत उपाप्त कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि आयोग को समाधानप्रद प्रतीत होता है कि किसी कारण से, जो अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियन्त्रण से बाहर है, वास्तविक क्रय तथा आयोग के आदेश में अन्तर आया है, तो परिणामिक वित्तीय लाभ या हानि का आगामी वर्ष की संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी (ए0 आर0 आर0) में समायोजन किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी लाभांशबंटन सूत्र (फार्मूला) के अधीन, अतिरिक्त विद्युत क्रय का लाभ प्रतिधारित करेगा और उसको अतिरिक्त विद्युत क्रय से कारित हानि उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा:

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी उच्च आवृति पर अध्यादित विद्युत से प्रोत्साहन के रूप में लाभ उठा सकेगा और न्यून आवृति पर अध्यादित विद्युत से हुई हानि को अमिलित करा सकेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी को, अन्तिम टैरिफ पर आधारित प्रतियोगी बोली द्वारा, विद्युत उपापन का विकल्प भी होगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपाप्त विद्युत की लागत को अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए, आयोग, गुणागुणधारित क्रय में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उत्पादकों/अन्य स्त्रोतों से सीधे विद्युत उपापन हेतु, निम्न बातों का ध्यान रखते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा:–

(क) विभिन्न मौसमों में भार प्रोफाईल;
(ख) तकनीकी मज़बूरियां;
(ग) संविदाजात बाध्यताओं को सम्यक् ध्यान में रखने के उपरान्त, परिहार्य लागत (चाहे वह अपनी विद्युत उत्पादन से हो अथवा क्रय से उद्भूत हो)।

(5) संविदाजात बाध्यताओं तथा तकनीकी मज़बूरियों का सम्यक् ध्यान रख कर, अधिकतम गुणागुणधारित क्रय में, अवधारित विद्युत क्रय व्यय वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में पासथ्रू व्यय समझा जाएगा।

(6) वास्तविक अल्पकालिक कमी की दशा में अनुज्ञप्तिधारी किसी अनुकल्पिक स्त्रोत से विद्युत उपाप्त कर सकेगा। आयोग, विद्युत क्रय के लिए, अधिकतम टैरिफ सीमा निश्चित कर सकेगा और वह आगामी टैरिफ कालावधि की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में पासथ्रू मानी जाएगी।

(7) ईंधन मूल्य में बदलाव के साथ ईंधन लागत, जिसमें स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत तथा विद्युत क्रय के सन्दर्भ में बदलाव भी शामिल है, का स्वतः पुनरीक्षण होता रहेगा और अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे ईंधन लागत में बदलावों की संगणना करे तथा उसी टैरिफ में त्रैमासिक आधार पर, उसका समुचित दावा या प्रतिदाय करें।

18. **लाभांशाबंटन.**—(1) पुनर्विलोकन कालावधि के आरम्भ में अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित युक्तियुक्त प्रत्यागम उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु यह कि क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी को कोई भी लाभ प्रत्याभूत (गारंटीकृत) या सुनिश्चित नहीं किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित युक्तियुक्त प्रत्यागम से अधिक लाभ उपार्जित कर सकेगा।

(2) अनुमोदित युक्तियुक्त प्रत्यागम से अधिक लाभ की दशा में, आयोग–

(क) 1/3 भाग शेयरधारकों को देय भागांश घोषित करेगा, यदि इस राशि का संदाय भागांश के रूप में नहीं किया जाता है तो उस सीमा तक यह इक्यूटी का हिस्सा समझा जाएगा और इस पर प्रत्यागम उपार्जित होगा। इस से लाभांश की भावी घोषणा, प्रत्यागम के प्रयोजन के लिए, इक्यूटी आधार में अनुरूप कमी का कारक होगी;

(ख) 1/3 भाग उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता बिल में कमी करते हुए, रिबेट के रूप में वापिस किया जाएगा;

(ग) 1/3 भाग, जिसका उपयोग आगामी वर्षों की संकलित राजस्व अपेक्षा विवरणी (ए0 आर0 आर0) में बढ़ौतरी में कमी लाने के लिये किया जाएगा, टैरिफ अतिशेष आरक्षित निधि के रूप में रखी जाएगी :

परन्तु यह कि आयोग, प्रति तीन वर्ष में, कुल आरक्षित निधि का कुछ भाग संकलित राजस्व अपेक्षाओं (ए0 आर0 आर0) में कटौती कर के, उपभोक्ताओं को लौटाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि टैरिफ अतिशेष आरक्षित निधि में राशि इक्युटी का भाग नहीं होगी तथा शेयरधारकों के लिए प्रत्यागम उपार्जित नहीं करेगी और इस आरक्षित निधि पर उपार्जित प्रत्यागम आरक्षित निधि में वापिस जोड़ा जाएगा।

19. **विनियामक आस्तियां.**—आयोग, स्वविवेकानुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत विनियमक आस्यों के कार्मिक अपाकरण तथा वित्तपोषण के लिए नियम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनियामक आस्तियों के लिए

उपबन्धित कर सकेगा :

परन्तु यह कि विनियामक आस्तियों का उपयोग, केवल अपरिहार्य घटनाओं अथवा अनियंत्रणीय कारणों से लागत में बदलाव अथवा इन्हीं कारणों से हुए टैरिफ आघात से उभरने के लिए ही किया जाएगा।

भाग–4 थोक प्रदाय टैरिफ तथा भेददर्शक उत्पादन और पारेषण टैरिफ

20. **थोक प्रदाय टैरिफ.**—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सीधे उत्पादन केन्द्र अथवा व्यापारी से विद्युत क्रय कर सकेंगे। आयोग एकरूपतामक थोक टैरिफ तथा प्रतिसहायिकी के भिन्न स्तर, जो उपभोक्ता हित के कारण हैं, से सम्बन्धित विवादकों को सुलझाने हेतु अन्तरीय (भेददर्शक) थोक प्रदाय टैरिफ क्रियाविधि अपना सकेगा।

(2) अंतरीय (भेददर्शक) थोक प्रदाय टैरिफ अवधारित करते हुए, आयोग, थोक प्रदाय के पूर्वानुमान को सुनिश्चित करने, कार्यकुशलता अभिलाभों का संरक्षण करने तथा प्रदाय टैरिफ की गणना करने के लिए स्पष्ट सूत्र बनाएगा।

21. **पीक तथा ऑफ पीक टैरिफ.**—(1) आयोग, समयबद्ध तरीके से, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पृथक पीक तथा ऑफ पीक टैरिफ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अंतरीय विद्युत उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ भी लागू करेगा। आरम्भ में, आयोग, बड़े, मध्यम तथा लघु औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा जलपम्पिंग उपभोक्ताओं के लिए "टाईम ऑफ दी डे" टैरिफ लगा सकेगा और धीरे–धीरे अन्य मुख्य उपभोक्ता प्रवर्गों को, समयबद्ध रीति से, इसके अन्तर्गत लाएगा।

(2) आयोग, व्यापक उपभोक्ता वर्गीकरण तथा समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट करेगा और आयोग, अंतरीय टैरिफ विनिर्दिष्ट करते हुए पीक, ऑफ पीक तथा सामान्य उपभोग की कालावधि भी अधिसूचित करेगा।

22. **शक्तिगुण तथा भारकारक सम्बन्धित टैरिफ.**—(1) प्रचालन तथा अधिकतम क्षमता उपभोग में दक्षता अभिवृद्धि करने हेतु, आयोग उपभोक्ताओं को उच्च शक्तिगुणक तथा भारकारक बनाए रखने के लिए रिबेट के लिए प्रावधान कर सकेगा।

(2) बेहतर शक्तिगुणक तथा उच्चतर भारकारक प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं जिनके पास समुचित मीटर हैं के लिए के0 डब्ल्यू0 ए0 के स्थान पर पार्ट–टू के0 वी0 ए0 जमा के0 वी0 ए0 एच0 टैरिफ करने पर विचार कर सकता है।

भाग–5 चक्रण

23. **चक्रण.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को खुली पहुंच से उपयोग की अविवेदकरी व्यवस्था

करेगा और चक्रण टैरिफ के प्रयोजन के लिए उस अवधि में, जो आयोग विनिर्दिष्ट करे, प्रभार चक्रण सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति से, दोनों नकदी अथवा वस्तु के रूप में लिया जाएगा।

(2) उपभोक्ता प्रवर्ग के लिए नकद चक्रण भार डाक महसूल स्टाम्प पद्धति पर आधारित होगा और इसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अपने "प्योर वायर" कारबार पर उपगत लागत भी शामिल होगी। यह लागत कारबार से व्युत्पन्न आय, यदि कोई हो, उस अनुपात से, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, घटाई जाएगी।

(3) आगामी टैरिफ कालावधि में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजित विक्रय इकाइयों (युनिटों) तथा उस द्वारा अपने नेटवर्क द्वारा चक्रित इकाइयों (युनिटों) को हिसाब में लेते हुए चक्रण प्रभार की संगणना की जाएगी।

(4) चक्रण संव्यवहार की दशा में वस्तु के रूप में प्रभार लेने के बारे में सनियमित वितरण प्रणाली क्षति उपभोक्ता द्वारा धारित की जाएगी और वह वोल्टा स्तर पर आधारित होगी।

भाग–6 अधिभार

24. **अधिभार**.—(1) प्रतिसहायिकी की समाप्ति से हुई हानि को ध्यान में रखते हुए, आयोग, उन उपभोक्ताओं या उपभोक्ता प्रवर्ग, जिन्होंने मूल वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य से विद्युत लेने का निश्चय किया है, द्वारा धारित किया जाने वाला, अधिभार अवधारित करेगा और ऐसा वसूल किये गए अधिभार का उपयोग चालू सहायिकी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा तथा सहायिकी की समाप्ति से मूल अनुज्ञप्तिधारी को हुई सारी हानि का, इन अधिभारों के अध्यधीन, प्रतिकार किया जाएगा।

(2) प्रति सहायिकी की, संगणना के प्रयोजन के लिए उस प्रवर्ग की सेवा लागत तथा उस प्रवर्ग की टैरिफ की औसत वसूली का ध्यान रखा जाएगा। जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिभार प्रत्येक प्रवर्ग सेवा लागत की बजाय औसत लागत पर आधारित होगा।

25. **अतिरिक्त अधिभार**.—(1) जहां उपभोक्ता खुली पहुंच का लाभ उठाता है, तो वहां आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर विद्युत प्रदाय की अधिरोपित बाध्यता से उद्भूत लागत की पूर्ति करने के लिए, अतिरिक्त अधिभार अवधारित कर सकेगा और उस अतिरिक्त अधिभार का, उस अवधि में, जिसमें नियत लागत उत्कुलित (अटकी) रहती है, संग्रहण अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) उन सभी मामलों में जिनमें लागत उत्कुलित (अटकी) रहती है, अतिरिक्त अधिभार का उपयोग किया जाएगा :

परन्तु यह कि उस दशा में यदि उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बदलने के कारण निर्मुक्त क्षमता का उपयोग उत्पादकतयः होता है तो उत्कुलित लागत अंतर्वलित नहीं समझी जाएगी।

भाग–7 सेवा गुणवत्ता

26. **सेवा गुणवत्ता.**—(1) आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों और ऐसे व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से परामर्श करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के लिए (स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित) निष्पादन के वास्तविक मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उनमें, समय–समय पर सुधार ला सकेगा। इन मानकों के अनुपालन की दशा में, आयोग, जैसे वह अवधारित करे, प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की संपरीक्षा करने हेतु, आयोग स्वतन्त्र अभिकरणों की सेवा ले सकेगा और स्वतन्त्र अभिकरणों के माध्यम से उपभोक्ता तुष्टि कालिक सर्वेक्षण भी करवा सकेगा।

भाग–8 विविध

27. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इन विनियमों में किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्धित कर सकेगा जो इस अधिनियम तथा इन विनियमों से असंगत नहीं हो और जो कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस विनियम के अधीन कोई आदेश इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा,
बी0 एस0 बक्शी,
सचिव।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th May , 2004

No. HPERC/381. —The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by sub- section (1), and clause (zd) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

PART –I – PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2004.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Scope and extent of application.—(1) These regulations shall apply where the capital cost based tariff is determined by the Commission.

(2) Where tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government, the Commission shall adopt such tariff in accordance with the provisions of the Act.

3. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(c) "Operation and Maintenance Expenses (or O & M Expenses) " means the expenditure incurred in operation and maintenance of distribution system and includes expenditure on employees costs, administrative and general expenses, repairs and maintenance, spares, consumables, insurance and other overheads;

(d) "regulations" means these regulations;
(e) "State Government" means the State Government of Himachal Pradesh;
(f) "surcharge" means the additional payment which the consumer, or category of consumers, pays for exercising option for open access to take supply from a person other than the incumbent distribution licensee;
(g) other words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART –II GENERAL GUIDING FACTORS FOR DETERMINATION OF TARIFF

4. Determination of Tariff.—(1) The Commission shall, by an order, determine the tariff, under the Act, for –

(a) supply of electricity by a generating company to a distribution licensee;
(b) transmission of electricity;
(c) wheeling of electricity;
(d) retail sale of electricity.

(2) Tariff determined by the Commission and the directions given in the tariff order by the Commission shall be the quid *pro quo* and mutually inclusive. The tariff determined shall, within the period specified by it, be subject to the compliance of the directions to the satisfaction of the Commission and their non-compliance shall lead to such amendment, revocation, variations and alterations of the tariff, as may be ordered by the Commission.

(3) Any transmission or distribution licensee, henceforth proposing to procure and purchase power, including the price at which power may be purchased, from any generating company, generating station or from any other source for transmission, distribution and supply in the State, shall take approval of the Commission, before entering into such contract.

(4) The tariff Order shall unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be specified in the tariff order. In the event of failure on the part of the licensee to file the Aggregate Revenue Requirement (ARR) under regulation 7, the tariff determined by the Commission shall cease to operate, unless allowed to be continued for a further period with such variations, or modifications, as may be ordered by the Commission.

5. Guiding Factors for Determination of Tariff.—The Commission shall, while determining the tariff, keep in view the factors, namely :—

(a) the principles that will –
  (1) reward performance ;
  (2) stress commercial aspects;
  (3) encourage efficiency, economy, competition and reduction of losses and costs;
  (4) promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy;

(b) the guidelines and the procedure, as may be laid down under sub-section (5) of section 62, for calculating the expected revenues from the tariff and charges and tariff filing;
(c) multi year tariff principles;
(d) broader tariff principles based upon performance based regulatory regime to improve efficiency of operations and ensure predictability in regulatory action;
(e) safeguarding of consumer's interests;
(f) recovery of cost of electricity in a reasonable manner ;
(g) reduction and elimination of cross subsidies;
(h) productivity of investments including the need to link tariff adjustments in the productivity of capital employed, manpower resources and improvements in efficiency of capital and resources;
(i) the need to rationalize tariffs on the basis of bench marked and performance based costs of generation, transmission and distribution .

6. Charging of permissible tariff .—(1) No generating Company or licensee for transmission (intra-State transmission), distribution and supply of power shall, without the prior approval of the Commission, charge any tariff:

Provided that the existing tariff being charged by the licensees or generating companies shall continue to be charged, after the date of the commencement of these regulations, for such period as may be specified by a notification, without prejudice to the powers of the Commission to take up any matter relating to tariff falling within the ambit of regulation 3 of these regulations.

(2) The licensee or generating company shall not charge a tariff in excess of the tariff determined by the Commission and if any licensee or the generating company recovers a price or charge exceeding the tariff determined under these regulations, without prejudice to any other liability incurred by the licensee or the generating company,—

(a) the excess amount shall be recoverable by the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the bank rate ; and
(b) the generating company or licensee, as the case may be, shall be liable to penalties as are prescribed under sections 142 and 146 of the Act.

PART-III FILING OF AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT

7. Filing of Aggregate Revenue Requirement .—(1) For the determination of tariff, each licensee shall, for the ensuing financial year, file the Aggregate Revenue Requirement (ARR) of on or before the 30th November of each year.

(2) The Aggregate Revenue Requirement (ARR) under sub-regulation (1) shall include—

(a) capital investments, financial costs and rate base;
(b) working capital; O&M expenditure, provision for bad debts, depreciation and distribution loss;

(c) sale forecasts;
(d) power purchases;
(e) profit sharing;
(f) regulatory asset; and
(g) the manner in which the gap, if any, between the charges permitted to be recovered and expected revenue calculated shall be bridged.

(3) For the purpose of computation of revenue requirement, and also for setting the targets for each year under review, the Commission may, by order, broadly classify the costs incurred by the licensees as,—

(a) controllable costs; and
(b) non-controllable costs:

Provided that the controllable costs shall be classified by indexing to appropriate indices like the Consumer Price Index (CPI), the Wholesale Price Index (WPI) and the Prime Lending Rate (PLR) etc.:

Provided further that the optionally incurred non-controllable costs, subject to due diligence and prudency check by the Commission, may be treated as pass through.

(4) The Commission may, for the purpose of multi year tariff regime, require a long term business plan from the licensee.

8. Capital investments.—(1) The licensees shall propose in their filings a detailed capital investment plan, showing separately ongoing projects that will spill into the year under review and new projects (along with their justification) that will commence but may be completed within or beyond the tariff period.

(2) The Commission may consider the licensee's investment plan for approval, and for this purpose may require the licensees to provide relevant technical and commercial details. The costs corresponding to the approved investment plan of a licensee for a given year shall normally be considered for its revenue requirement.

(3) In presenting the justification for new projects, the licensee shall detail the specific nature of the works, and outcomes sought to be achieved, and such details must be shown in the form of physical parameters, e.g. new capacity added, to be added, meters replaced, customer service centers set up etc., so that it is amenable for physical verification.

In case of any significant shortfall in physical implementation, the Commission may require the licensees to explain the reasons, and may proportionately reduce the provision, including the interest and the return component, made towards revenue requirement, in the next period.

(4) To meet natural calamities involving substantial investments, the licensees may, any time during the tariff year seek provision for additional capital expenditure and the Commission shall examine and review these provisions in the manner as given in sub-regulation (2) and approve their inclusion in revenue requirement in the next period.

9. Financing Costs.—(1) To take best advantage of market conditions, the licensee shall, while raising new finance, be free to finance through any proportion of debt and equity. For the past investment, actual values shall be considered. Depreciation reserves to the extent available shall be utilised for financing the investments:

Provided that the licensee will not earn return from the assets created through this depreciation reserve.

(2) The licensee shall indicate in its filing that the financing cost considered for revenue requirement matches with the approved investment plan, level of capital for the given year.

(3) For loans outstanding at the beginning of the year on the revenue account, the licensee shall indicate, in its filings, the expected interest outgo for each year, which will be considered towards revenue requirement of the licensee for such year and in case of declining interest rates, the licensee shall make efforts to reduce the cost of the outstanding loans.

(4) The Commission shall encourage raising loans from the consumers and for all loans the permitted interest cost shall be linked to the Prime Lending Rate of a Scheduled Bank plus a predetermined margin that realistically reflects the rate at which licensee can raise debt from the market.

(5) The linkage of permitted interest cost with the Prime Lending Rate under sub-regulation (4) shall encourage the licensees to improve the credit rating and seek funds at lower cost, and the licensee shall retain the benefit of such savings till the next tariff review where actual values shall be considered as the base for subsequent years.

(6) For the Commission's approval the licensee may, in its filing, propose its choice of the Prime Lending Rate(PLR), reference (Indian Loans) and the margin keeping in view the suitability of the Prime Lending Rate (PLR) reference to its business, prevailing market conditions, the financial position etc.:

Provided that to ensure consistency, the Commission may use one single bench-mark Prime Lending Rate (PLR), which may be of a bank that is commonly acceptable.

10. Rate Base.—(1) For computing returns, the Commission may determine appropriate rate base either considering debt and equity separately or in conjunction and in doing so, factors which incentivise capital investment shall be adequately considered:

Provided that the Commission may assess at regular intervals the Weighted Average Cost of Capital (WACC) while giving return on the total capital employed.

(2) In case foreign currency is bought as capital, the Commission may consider a separate rate of return and foreign exchange variation shall be allowed as a pass through to the consumers.

(3) The Commission may—

(a) link the return on equity to the RBI Bank Rate plus a margin for the investment risk in the power sector;

(b) allow a fixed rate of return on capital base, to be decided by it,

(c) provide post tax returns and ensure that tax to the extent of tax on return is allowed as pass through to the consumers.

11. Working Capital.—Working capital requirement shall be worked out, basing upon a lead-lag study and such working capital requirement should move towards efficient levels for the subsequent years.

12. O & M Expenditure.—The Commission may endeavour to fix operation and maintenance cost on normative basis and these shall be recognized at actual, or as may be allowed by the Commission, whichever is lower for the first period of review and shall be taken as base values and the approved base values may be indexed to pre-determined

indices viz. Consumer Price Index, the Wholesale Price Index or a combination of both the indices for the subsequent years.

13. Provision for bad debts.—The Commission may, after the licensee gets the receivables audited, allow a provision for bad debts, as a percentage of sales revenue and as per prudent commercial practices, in the revenue requirement of the licensee.

14. Depreciation.—(1) For the purpose of the tariff determination, the rate of depreciation shall be linked to the useful life of the asset:

Provided that the Commission may permit a higher rate of depreciation, in case of inadequacy of cash for debt repayment.

(2) In addition to allowable depreciation, the Commission may consider allowing advance against depreciation, if—

(a) in any year, the advance against depreciation and depreciation together do not exceed 1/12th of the original loan amount; and

(b) the total depreciation allowed during the life of the project shall not exceed 90% of the original project cost.

15. Distribution Loss.—(1) The Commission may either require the licensees to carry out proper loss estimation studies under its supervision, or initiate a study itself, to set a realistic base line of loss estimates at different voltage levels and in relation to different consumer categories.

(2) The Commission shall, on the basis of opening loss levels licensee's filings, or on the basis of submission and objections raised by the stake holders, approve a realistic and achievable loss target for the year under review and the approved loss target shall be used for computing power purchases/sale of power for that year.

(3) The licensee shall share part of the financial gains arising from achieving higher loss reduction vis-à-vis the target with the consumers, but the losses on account of under achievement of loss reduction target shall be entirely borne by the licensee.

16. Sales Forecasts.—(1) The licensee shall forecast energy sales, the number of consumers and load profile for each customer category and for each slab, for the period under consideration and the Commission, before accepting and adopting it, shall examine the reasonableness, consistency of principles across all licensees, past trends etc.

(2) The licensee shall develop a robust database of all consumers with desired particulars regarding their demand to facilitate the forecasting process in the future.

(3) The sales forecast shall be applied in estimating the revenue accruals.

17. Power Purchases.—(1) Quantity approved for power purchase may be the sum of targeted distribution loss and total forecast sales under regulation 16 and will be evaluated at the price based on the power purchase agreements, bulk supply agreements etc. consented by the Commission.

(2) The Commission shall not consider the power purchases beyond the approved level of power purchases. However, the licensee can procure additional power from any source:

Provided that if, on account of any event, beyond the reasonable control of the licensee to the satisfaction of the Commission, there is any variation in the actual purchase vis-à-vis the order of the Commission, the resultant financial gain or loss shall be adjusted in the next year's Aggregate Revenue Requirement (ARR):

Provided further that the licensee as per the profit sharing formula shall retain any gain made out of the additional power purchase and the loss on account of the additional power purchase shall not be passed on to the consumers:

Provided further that the licensee shall be allowed to retain incentive of over drawl of power under higher frequency and absorb the loss for over drawl of power under lower frequency regime.

(3) The licensee shall also have the option of procurement of power through competitive bids based on final tariff.

(4) The Commission, based on merit order despatch, may lay down guidelines for direct procurement of power by the distribution licensees from generators/other sources in order optimize the cost of power procured by licensees considering—

(a) load profiles during various seasons;

(b) technical constraints;

(c) avoidable costs (whether from own generation or power purchase) calculated after giving due consideration to valid contractual obligations.

(5) The power purchase expenses as determined, after due consideration for contractual obligations and technical constraints, through the optimal merit order despatch, shall be considered for pass through in the Annual Revenue Requirement.

(6) In case of genuine short term shortages, the licensee shall have the flexibility to procure power from alternative sources. The Commission may fix the maximum ceiling of tariff for purchase of electricity and the same shall be pass through in the revenue requirement for the subsequent tariff period.

(7) The fuel cost revision shall be automatic with the variation in fuel prices and shall include changes in fixed costs, variable costs and variations in mix of power purchases and the licensees shall be required to compute changes in the fuel costs, and appropriately claim or refund the same in tariff, on quarterly basis.

18. Profit Sharing.—(1) In the beginning of the period under review, the licensee shall be provided with an approved reasonable return:

Provided that as the profitability of the licensee is neither guaranteed nor capped, the licensee may make more profits than the approved reasonable return.

(2) In case of the profits beyond the approved reasonable return , the Commission shall treat—

(i) one-third amount to be declared as dividends to the share holders. Where this amount is not paid out as dividend, it shall be treated as part of equity to that extent and earn returns on the same. Any future declaration of dividend from this shall lead to commensurate decrease in the equity base for the purpose of returns;

(ii) one-third amount to be returned back to consumers by way of reduction in the consumer bills as a rebate; and

(iii) one-third amount shall be kept as tariff balancing reserve, which shall be used to reduce sharp rise in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) in future years:

Provided that the Commission may allow a part of the total reserve to be returned back to the consumers every 3 years by way of reduction in the Aggregate Revenue Re-

quirement (ARR):

Provided further that the amount in tariff balancing reserve shall not be eligible to be treated as part of equity and would not earn any return for the shareholders and any return earned on this reserve shall be added back to this reserve.

19. Regulatory asset.—The Commission shall, at its discretion, provide for regulatory asset by specifying the amortisation and financing rules of the regulatory assets submitted by the licensee and accepted by the Commission:

Provided that the regulatory assets shall only be allowed to take care of force majure or cost variations due to uncontrollable factors or major tariff shocks because of these reasons and not to avoid the progressive tariff increases.

PART-IV BULK SUPPLY TARIFF AND DIFFERENTIATED GENERATION AND TRANSMISSION TARIFFS

20. Bulk Supply Tariff.—(1) The distribution licensees may buy power directly from a generating station or a trader. The Commission may adopt a differential bulk supply tariff mechanism to address the issues of uniform retail tariff and different level of cross-subsidies that exist on account of their consumer mix.

(2) The Commission shall, while designing the differential bulk supply tariff, ensure bulk supply tariff predictability, protect efficiency gains and lay down a clear formula for the calculation of bulk supply tariff.

21. Peak and Off-peak Tariff.—(1) The Commission shall encourage the distribution licensees to move towards separate peak and off-peak tariff in a time-bound manner and also move towards time differentiated generation and transmission tariffs. To begin with, the Commission may look at "Time-of-the- day" tariff for large, medium and small industrial, commercial and water pumping consumers and gradually cover other major consumer classes in a time-bound manner.

(2) The Commission shall specify the broad classification of consumers and time frame for implementation of and while specifying differentiated tariff, the Commission may also notify the period for peak, off-peak and normal consumption.

22. Power Factor and Load Factor Related Tariff.—(1) The Commission may provide rebates to the consumers for maintaining high power factor and load factor to pro-

mote efficiency of operation and optimum capacity utilization.

(2) The Commission may consider switching over to two-part kVA plus kVAh tariff from kWh tariff for consumers having appropriate meters to incentivise operation at better power factor and higher load factor

PART-V WHEELING

23. Wheeling.—(1) The licensees shall provide non-discriminatory open access to the consumers and within the period as may be specified by the Commission, for the purposes of wheeling tariff, the person utilizing wheeling services will be charged on both cash and kind basis.

(2) The wheeling charge in cash for a consumer category would be based on post-age stamp method and include costs of distribution licensee for its 'pure wires' business. This cost shall be reduced by the proportion of the revenues derived from other business, if any, which would be specified by the Commission.

(3) The wheeling charge will be computed taking into account, projected units to be sold and wheeled through distribution licensee's network in the ensuing tariff period.

(4) With regard to charges in kind, the normative distribution system loss shall be borne by the consumer in the case of wheeling transactions and would be based on the voltage levels.

PART –VI SURCHARGE

24. Surcharge.—(1) The Commission shall determine surcharge in view of the loss of cross-subsidy from the consumer or category of consumers who have opted for open access to take supply from a person other than the incumbent distribution licensee and such charges shall be utilized to meet the requirement of current level of cross subsidy and the entire amount of cross-subsidy lost by the incumbent licensee shall be compensated through these surcharges.

(2) For the purpose of computing cross-subsidy, the difference between cost-to-serve of that category and average tariff realization of that category shall be considered. Where no data is available, the surcharge shall be based on average cost instead of cost to serve of each category as an interim arrangement.

25. Additional surcharge.—(1) Where a consumer avails open access, the Commission may determine the additional surcharge to meet the fixed costs of the distribution licensee arising out of his obligation to supply and permit collection of such additional surcharge for the period the fixed cost remains stranded.

(2) This additional surcharge shall be applied in all cases where stranded costs are involved:

Provided that if the capacity released on account of a consumer changing from his distribution licensee to another person is productively utilized then no stranded costs shall be deemed to be involved..

PART- VII QUALITY OF SERVICE

26. Quality of Service.—(1) The Commission, after consultation with licensee, and persons likely to be affected shall specify realistic standards of performance (depending on the local conditions) of the licensee and may improve it from time to time. In case of non-compliance of these standards, Commission may award compensation to the affected consumers as determined by the Commission.

(2) The Commission may engage independent agencies to audit the data submitted by the licensee and may also periodically conduct customer satisfaction surveys through independent agencies.

PART –VIII MISCELLENEOUS

27. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the commission may, by order published, make such provision not inconsistent with the provision of the Act and these regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this regulation after the expiry of one year from the date of commencement of these regulations.

(2) Every order made under this regulation shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

By order of Commission
Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित